APP-A
Crim-I

·FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट सोडार

पन्ना पिता बालू जाट बनाम सांवरा पिता बालू जाट
निवासी– भारलियास निवासी– भारलियास

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 2407/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट सोडार पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है, आराजीयात वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है, जिसमें वादी नम्बर – 1 का 1/3, वादी नम्बर – 2 का 1/3 प्रतिवादी संख्या–.1 का 1/3 हिस्सा निहित है, और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । वकील वादी के द्वारा सूची के साथ दस्तावेज पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी नम्बर–1 के द्वारा पूर्व में इसी आराजीयात का बॅटवारा करने हेतु वाद प्रस्तुत किया था जो मुकदमा नम्बर 67/2014 पर दर्ज होकर अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार करते समय प्रतिवादी संख्या– 1 ने अपना वाद विड्रो कर लिया इसलिये यह वाद पुनः प्रस्तुत किया गया है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से फलस काश्त करनें व लगान आदि जमा करानें विवाद होता रहता है, इसलिये माफिक हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन करवाया जावें । उपस्थित वकील प्रतिवादी ने भी हक हिस्से व कब्जेनुसार भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है । मैने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा भारलियास पटवार हल्का सोडार तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 45, 46, 63, 101, 630, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 किता 17 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा भूमि पन्ना, जमना, सॉवरा पिता बालू जाट साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यहॉ वादीगण का कथन है कि आराजीयात संयुक्त कब्जेकाश्त की होने से फसल काश्त करने व लगान आदि जमा करानें में आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिये माफिक हक हिस्सा व कब्जे के अनुसार भूमि का विभाजन कराना चाहा है । इसमें प्रतिवादीगण को भी कोई आपत्ति नही होने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

::—निर्णय::—

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा भारलियास पटवार हल्का सोडार तहसील हुरडा की आराजी नं.— 45, 46, 63, 101, 630, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 किता 17 रकबा 38 बीघा 07 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 04.05.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट सोडार पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

29.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र कमांक राजस्व/ 2018 /16 दिनांक 29.06.2018 से प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

1— पन्ना पिता बालू जाट साकिन देह के हिस्से में :—

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
भारलियास	923	01 बीघा 02 बिस्वा	41.27
	924/2	02 बीघा 02 बिस्वा	
	930/3	01 बीघा 05 बिस्वा	
	931/3	00 बीघा 13 बिस्वा	
	934/1	00 बीघा 15 बिस्वा	
	935/3	00 बीघा 01 बिस्वा	
	936/2	00 बीघा 18 बिस्वा	
	936/5	00 बीघा 08 बिस्वा	
	937/1	00 बीघा 15 बिस्वा	
	937/4	00 बीघा 12 बिस्वा	
	938/1	00 बीघा 06 बिस्वा	
	939/1	00 बीघा 06 बिस्वा	
	45/2	00 बीघा 18 बिस्वा	
	46/1	01 बीघा 10 बिस्वा	
	101/3	00 बीघा 17 बिस्वा	
कुल किता 15		12 बीघा 08 बिस्वा	41.27

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2– जमना पिता बालू जाट साकिन देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
भारलियास	930/1	01 बीघा 08 बिस्वा	39.79
	931/1	00 बीघा12 बिस्वा	
	933/1	00 बीघा10 बिस्वा	
	933/3	03 बीघा 02 बिस्वा	
	933/5	00 बीघा02 बिस्वा	
	935/2	00 बीघा09 बिस्वा	
	936/4	00 बीघा 09 बिस्वा	
	937/3	01 बीघा10 बिस्वा	
	938/3	00 बीघा05 बिस्वा	
	939/2	00 बीघा16 बिस्वा	
	45/3	00 बीघा19 बिस्वा	
	46/3	01 बीघा10 बिस्वा	
	101/1	00 बीघा17 बिस्वा	
कुल किता 13		12 बीघा 09 बिस्वा	39.79

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3– सांवरा पिता बालू जाट साकिन देह के हिस्से में , रहन बी0ओ0बी शाखा सरेरी:–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
भारलियास	924/1	01 बीघा 08 बिस्वा	40.73
	924/3	00 बीघा01 बिस्वा	
	930/2	01 बीघा03 बिस्वा	
	930/4	00 बीघा01 बिस्वा	
	931/2	00 बीघा09 बिस्वा	
	931/5	00 बीघा04 बिस्वा	
	933/2	00 बीघा09 बिस्वा	
	933/4	02 बीघा02 बिस्वा	
	933/6	00 बीघा01 बिस्वा	
	934/2	00 बीघा04 बिस्वा	
	935/1	00 बीघा01 बिस्वा	
	936रु3	00 बीघा10 बिस्वा	
	937/2	01 बीघा00 बिस्वा	
	938/2	00 बीघा12 बिस्वा	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

	939/3	00 बीघा18 बिस्वा		
	45/1	00 बीघा18 बिस्वा		
	46/2	00 बीघा13 बिस्वा		
	63	00 बीघा18 बिस्वा		
	101/2	00 बीघा16 बिस्वा		
कुल किता 19		12 बीघा 08 बिस्वा	40.73	

4— पन्ना , जमना, सॉवरा पिता लाबू जाट साकिन देह के हिस्से में , रहन बी0ओ0बी शाखा सरेरी हिस्सा जमना, सॉवरा का :—

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
भारलियास	931/4	00 बीघा 05 बिस्वा	0.49
	932	00 बीघा11 बिस्वा	
	936/1	00 बीघा02 बिस्वा	
	630	00 बीघा04 बिस्वा	
कुल किता 4		01 बीघा02 बिस्वा	0.49

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया । उपस्थित वकील वादी के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिकी पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner